मुख्य अभियन्ता का कार्यालय,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद।

पत्रांक– मु0अभि0औ0–01 / कार्य–52–25 / 2024..... / औरंगाबाद, दिनांक :.....

प्रेषक,

ई० अर्जुन प्रसाद सिंह,
मुख्य अभियंता,
सिंचाई सृजन,
जल संसाधन विभाग, औरंगाबाद।

सेवा में,

उप महाप्रबंधक (तक0),
केन्द्रीय परियोजना कार्यान्वयन इकाई,
पटना बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड
E-mail ID- cpiu.pat@gmail.com

विषय :– सोन नहर प्रमंडल, खगौल के कार्यक्षेत्राधीन एम्स–दीघा पाटिल पथ दानापुर तरफ नेहरू पथ से सम्पर्कता प्रदान करने का निर्माण कार्य अंतर्गत निम्नलिखित दो अदद कार्य यथा–
1. पटना मुख्य नहर के कि0मी0 129.03 लगभग पर एम्स–दीघा पाटिल पथ से सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नहर रोड के Embankment में संरचना निर्माण कार्य (अप रैम्प 552 मीटर) एवं पटना मुख्य नहर के 127.30 लगभग पर (डाउन रैम्प 702 मीटर) संरचना निर्माण कार्य कुल 1254 मीटर
2. पटना मुख्य नहर के कि0मी0 129.08 लगभग पर नहर के मध्य में Pier निर्माण कार्य (अप रैम्प 25 मीटर) एवं पटना मुख्य नहर के 127.25 कि0मी0 लगभग पर Pier निर्माण कार्य (डाउन रैम्प 25 मीटर) के लिए कुल 02 अदद कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निमित प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धांतिक सहमति के संबंध में।

प्रसंग :– अधीक्षण अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद का पत्रांक– 1255, दिनांक– 06.10.2026 कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल का पत्रांक– 1612, दिनांक– 26.09.2026 एवं आपका पत्रांक– 811 दिनांक– 14.08.2026

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के क्रम में अधीक्षण अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद के पत्रांक– 1255 दिनांक– 06.10.2026 द्वारा सोन नहर प्रमंडल, खगौल के कार्यक्षेत्राधीन एम्स–दीघा पाटिल पथ दानापुर तरफ नेहरू पथ से सम्पर्कता प्रदान करने का निर्माण कार्य अंतर्गत निम्नलिखित दो अदद कार्य यथा–

1. पटना मुख्य नहर के कि0मी0 129.03 लगभग पर एम्स–दीघा पाटिल पथ से सम्पर्कता प्रदान करने हेतु नहर रोड के Embankment में संरचना निर्माण कार्य (अप रैम्प 552 मीटर) एवं पटना मुख्य नहर के 127.30 लगभग पर (डाउन रैम्प 702 मीटर) संरचना निर्माण कार्य कुल 1254 मीटर

2. पटना मुख्य नहर के कि0मी0 129.08 लगभग पर नहर के मध्य में Pier निर्माण कार्य (अप रैम्प 25 मीटर) एवं पटना मुख्य नहर के 127.25 कि0मी0 लगभग पर Pier निर्माण कार्य (डाउन रैम्प 25 मीटर) के लिए कुल 02 अदद कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण–पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव संयुक्त स्थल निरीक्षणोपरांत आवश्यक विभागीय शर्त्तों एवं अनुशंसा के साथ समर्पित किया गया है।

अतः आपके अनुरोध के क्रम में अधीक्षण अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद से प्राप्त अनुशंसित प्रस्ताव तथा कार्यहित में एवं आमजनों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए तकनीकी समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त विभागीय पत्रांक– 485 दिनांक– 29.08.2024 की कंडिका ख के Case-1 के आलोक में उपरोक्त वांछित स्थल पर निर्माण कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र निमित प्रथम चरण अंतर्गत सैद्धांतिक सहमति निम्नलिखित विभागीय शर्तों के साथ निर्गत किया जाता है :–

1. प्रस्तावित निर्माण हेतु अधियाची/विभाग संगठन का प्रस्ताव संतोषप्रद पाये जाने के फलस्वरूप प्रथम चरण में सिर्फ सैद्वान्तिक रूप से सहमति प्रदान किया जा रहा है।
2. प्रस्तावित स्थल के जलीय एवं भूगर्भीय ऑकड़ों के आधार पर प्रस्तावित पुल निर्माण का तकनीकी रूपांकण, संबंधित सक्षम तकनीकी प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त प्रस्ताव पुनः 30 दिनों के अंदर समर्पित किया जाय। अनुमोदित रूपांकण एवं आलेख्य के Hydraulic Parameters की जॉच कर अंतिम रूप से निर्माण कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किया जा सके। 30 दिनों के अंदर अंतिम रूप से निर्माण कार्य हेतु अनापति प्रमाण पत्र प्रस्ताव समर्पित नहीं करने पर सैद्वान्तिक रूप से सहमति स्वतः रद्द माना जायेगा।
3. मात्र सैद्धांतिक सहमति के आधार पर संरचना का वास्तविक निर्माण नहीं किया जाय।
4. सैद्धांतिक सहमति के उपरांत कार्यपालक अभियंता, राष्ट्रीय उच्च पथ प्रमंडल, औरंगाबाद के द्वारा उनके सक्षम तकनीकी प्राधिकार से संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य अनुमोदित कराकर संबंधित अभिलेख सहित अंतिम रूप से अनापति प्रमाण पत्र निर्गत करने का प्रस्ताव संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही प्रस्ताव में यह प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाएगा कि **"प्रस्तावित संरचना का रूपांकण एवं आलेख्य संबंधी अभिलेख सक्षम तकनीकी प्राधिकार से अनुमोदित है।"**
5. प्रस्तावित स्थल के निकट नहर बाँध रूपांकित Section के अनुरूप maintain कराना बाध्यकारी होगा। साथ ही पूर्वनिर्मित संरचना के स्थान पर नवनिर्माण की स्थिति में संरचना का Design & Drawing पूर्वनिर्मित संरचना (यथा C/R, H/R. Fall & etc) के अनुरूप निर्माण कराना प्रयोक्ता विभाग की जिम्मेवारी होगी।
6. वैसी संरचना जिसका Abutment/Pier पूर्व में ब्रिक मैसेनरी निर्मित है, उसे पूर्णरूपेन हटाकर अखण्ड संरचना (Monolithic Structure) का नवनिर्माण करना होगा।
7. अगर कार्य के दौरान किसी प्रकार की कटिंग की आवश्यकता पड़ती है, तो उस कार्य को कराने के उपरान्त नहर को Section के अनुरूप प्रयोक्ता के द्वारा अपने खर्च पर बनाना होगा।
8. संरचना का नींव, नहर Bed Level से नीचे तथा पुलिया का Deck Slab का नीचे का लेवल, नहर (F.S.L.+F.B.) से उपर रहेगा।
9. नहर तटबंध एवं संरचना में किसी भी प्रकार से क्षतिग्रस्त नहीं किया जायेगा तथा निर्माण कार्य के दौरान नहर के Section के बगल में कटिंग किये गये भाग को पुनः रूपांकित Section with Wing Wall के साथ पुनर्स्थापित करना होगा।
10. नहर के चार्ट भूमि या नहर तल से मिट्टी नहीं काटी जायेगी।
11. नहर का विभागीय स्वामित्व बना रहेगा।
12. नहर के बाँध/चाट भूमि अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य जल संसाधन विभाग के क्षेत्रीय पदाधिकारियों की देख–रेख में करना होगा।
13. प्रस्तावित संरचना निर्माण के दौरान जल संसाधन विभाग की किसी भी परिसम्पति की क्षति होने पर विभागीय पदाधिकारियों के निदेशानुसार प्रयोक्ता को अपने खर्चे पर आवश्यक कार्य करना सुनिश्चित करेंगे।
14. प्रस्तावित कार्य के दौरान वैसे अनदेखे कार्य (Unseen work) जो जल संसाधन विभाग के द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों के तहत होगा, कार्यहित में प्रयोक्ता विभाग को करना बाध्यकारी होगा।
15. प्रस्तावित कार्य के लिए अगर नहर के अंदर किसी प्रकार की Activity करने की आवश्यकता हो तो वैसे कार्य को नहर बंदी के अवधि में कराना होगा जिससे की नहरों से सिंचाई हेतु जलश्राव बाधित नहीं हो। निर्माण कार्य नहर बंदी अवधि में कराना होगा।
16. संरचना का रूपांकण एवं रेखांकण अद्यतन I.S. कोड के अनुरूप कराना अनिवार्य होगा एवं कार्य की गुणवत्ता की जवाबदेही प्रयोक्ता विभाग की होगी।
17. आपदा अथवा गुणवत्ता/डिजाईन त्रुटि एवं दुर्घटना के कारण प्रस्तावित संरचना ध्वस्त होने की स्थिति में जानमाल का नुकसान होने पर सारी जबाबदेही प्रयोक्ता विभाग की होगी। इसके लिए जल संसाधन विभाग जिम्मेवार नहीं होगा।

18. कार्य के दौरान नहर में पड़े निर्माण सामग्रियों/अवशेषों इत्यादि को नहर में जलश्राव प्रवाहित किये जाने के पूर्व हटा लेना होगा।
19. नहर के जलश्राव को सुगमता पूर्वक प्रवाहित करने हेतु प्राप्त कराये गये नहर के Hydraulic particulars के अनुरूप, बिना किसी बदलाव के कार्य करना होगा ताकि भविष्य में कोई भी प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न नहीं हो।
20. नहर के अपस्ट्रीम/डाउन स्ट्रीम भाग के स्लोप एवं बेड में आवश्यक सुरक्षात्मक कार्य (Protection Works Such As PCC Lining/ CC Block/ Boulder Pitching) विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारियों के देखरेख में उनके द्वारा बताये गये लम्बाई में करना होगा।
21. मिट्टी खुदाई से पूर्व Call Before You Dig (CBuD) app में रजिस्ट्रेशन कराना सुनिश्चित करेंगे।
22. प्रस्तावित संरचना के सेवा पथ एवं Connecting Road से Easy Approachable रखना होगा।
23. कार्य आरम्भ एवं समाप्ति के संबंध में जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों यथा कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता को ससमय सूचित किया जाना अनिवार्य होगा एवं जल संसाधन विभाग के पदाधिकारियों द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
24. उपर्युक्त शर्तों का अनुपालन नहीं किये जाने पर प्रथम चरण अंतर्गत अनापति प्रमाण पत्र निर्गत सैद्धांतिक सहमति रद्द माना जायेगा।

विश्वासभाजन,

ह0/-
(अर्जुन प्रसाद सिंह)
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक– मु0अभि0औ0–01/कार्य–52–25/2024..... /औरंगाबाद, दिनांक :.....
प्रतिलिपि – मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक– मु0अभि0औ0–01/कार्य–52–25/2024..... /औरंगाबाद, दिनांक :.....
प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–03, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक– मु0अभि0औ0–01/कार्य–52–25/2024..... /औरंगाबाद, दिनांक :.....
प्रतिलिपि – अधीक्षण अभियंता, सोन उच्च स्तरीय नहर अंचल, औरंगाबाद/कार्यपालक अभियंता, सोन नहर प्रमंडल, खगौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/
मुख्य अभियन्ता

ज्ञापांक– मु0अभि0औ0–01/कार्य–52–25/2024 2202 /औरंगाबाद, दिनांक : 12/10/2026
प्रतिलिपि – कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

12/10/26
मुख्य अभियन्ता
12/10/2026